संख्या:119/2026/666/35-4002(003)/23/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 08 अप्रैल,2026

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत हुए कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर में शासनादेश संख्या: 33/2026/509/35-4-2026/35-4002(003)/46/2026 दिनांक 29.03.2026 द्वारा 77 कार्यों की रू. 5039.84 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 2422.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। जनपद कुशीनगर के उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश के प्रस्तर-1 की तालिका के क्रमांक-77 पर इंगित कार्य यथा-**ग्राम-भड़सरा में तरूवनवा बारी टोला से लेकर पोखरभिण्डा तक पिच रोड का निर्माण कार्य** (अनुमोदित लागत-रू.260.25 लाख, अवमुक्त धनराशि रू. 125.00 लाख) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति को एतदद्वारा निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29.03.2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। निरस्त कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि राजकोष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कराते हुए इसकी सूचना ट्रेजरी चालान की प्रति सहित नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:119/2026/666(1)/35-4002(003)/23/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/नगर विकास/पंचायती राज विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा॰ मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कुशीनगर।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कुशीनगर।
15- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, कुशीनगर।
16- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।